UPMT010010972026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा
उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–103/2026
रोहिताश कुमार प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 343/2025, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, थाना नौहझील, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **रोहिताश कुमार** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– इस प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतका के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार करने को जबरदस्ती करना, अन्य लोगों के आ जाने पर जान से मारने की धमकी देना, उक्त के अनुक्रम से मृतका ममता द्वारा गर्दन में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया जाना आक्षेपित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान निज अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा राजकुमार पर बल देते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसको गलत एवं झूठा फँसाया गया है, उसने कोई कथित अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा कोई और जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 10–12 दिन बाद अतिविलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 103 बी०एन०एस० में दर्ज की गयी थी, किन्तु दौरान विवेचना धारा 103(1) के स्थान पर मामला धारा 108 बी०एन०एस० में तरमीम कर दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट का आरोप कि आवेदक/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण ने मृतका को गर्दन में फंदा लगाकर जान से खत्म कर दिया गया था, एकदम असत्य पाया गया तथा मृतका द्वारा आत्महत्या की गयी, यह विवेचना में पाया गया। मृतका के चिकित्सीय परीक्षण/पोस्टमार्टम में बलात्कार किये जाने जैसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। घटना का कोई निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है, दर्शाये गये सभी साक्षीगण नीतू, सचिन व श्यामवती वादी के रिश्तेदार हैं। वादी घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है, जिसने सुने सुनाये आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है। कथित घटना दिनांक 21.11.2025 की रात्रि की बतायी जाती है। मृतका का पोस्टमार्टम दिनांक 22.11.2025 को हुआ है, जिसमें मृतका का पति/वादी उपस्थित था, किन्तु उक्त दिनांक को कोई आरोप अभियुक्त पर नहीं लगाया गया न ही बयान दिया गया कि अभियुक्त ने कथित घटना कारित की। दिनांक 02.12.2025 को प्रार्थनापत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मृतका व आवेदक/अभियुक्त के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल विवेचक द्वारा संकलित किया जाना कहा जाता है, किन्तु केस डायरी पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जो मोबाइल नंबर मृतका पर होना बताया जा रहा है, वह मृतका का ही मोबाइल नंबर हो। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन पर लीगेचर मार्क के अलावा अन्य कोई चोट नहीं पायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है, वह दिनांक 25.12.2025 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष/वादीपक्ष की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतका को आत्महत्या किये जाने के लिए दुष्प्रेरित किया गया, जिससे दुष्प्रेरित होकर मृतका ममता ने फांसी लगाकर

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.18 16:30:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आत्महत्या कर ली। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध केस डायरी पर पर्याप्त साक्ष्य संकलित किया गया है।

वादी मुकदमा ने प्रतिशपथपत्र दाखिल कर मुख्यतः कहा है कि दिनांक 20.11.2025 को आवेदक/अभियुक्त वादी की पत्नी/मृतका के साथ बुरा काम करने की नीयत से घर में घुसा था, शोर सुनकर नीतू, सचिन व श्यामवती आ गये थे, जिन्हें देखकर भाग गया व धमकी दी। दिनांक 21/22.11.2025 की रात्रि को आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण पुनः वादी के घर आये तथा गालीगलौज करने लगे व वादी की पत्नी को सभी लोगों ने गर्दन में फंदा लगाकर जान से मार दिया। पुलिस ने अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के लिए उसे धारा 108 बी०एन०एस० में चालान कर जेल भेजा है, जबकि मामला हत्या का है। वादी ने पहले 22.11.2025 को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, फिर दि० 27.11.2025 को प्रार्थनापत्र दिया गया जो पुलिस ने दिनांक 02.12.2025 को निरस्त कर दिया, जिसके सम्बन्ध में एस०एस०पी० महोदय को शिकायत करने पर पुनः प्रार्थनापत्र लेकर दिनांक 02.12.2025 को मुकदमा दर्ज किया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है।

6– आवेदक/अभियुक्त दिनांक 25.12.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 103(1) बी०एन०एस० में दर्ज की गयी थी, जो दौरान विवेचना धारा 108 बी०एन०एस० में तरमीम की गयी है।

आवेदक/ अभियुक्त किसी पूर्व प्रकरण में दोषसिद्ध हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **रोहिताश कुमार** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा को ई–मेल **districtjailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

दिनांक–18.03.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा, पी.एस.